संख्या 236 /78-2-2018-42आई0टी0/2017(22)

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 16 अप्रैल 2018

विषय: ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली हेतु नामित नोडल संस्था - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कस्टमाइजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में

महोदय,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के पूर्व शासनादेश संख्या 1067/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनॉक 12 मई 2017 पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी नामित है तथा शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार, ई-टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य हार्डवेयर उपकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर कार्य करने, तथा ई-टेण्डरिंग प्रकिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर के विकास, BOQ preparation, टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि के प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

2 **शासनादेश में पुनः यह स्पष्ट किया गया है कि ई-टेण्डरिंग के कार्यो हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। निगम को उक्त कार्यो के सापेक्ष मात्र पंजीकरण शुल्क, कस्टमाइजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क, उक्त कार्यो/सुविधाओं के एवज में उपलब्ध होगी।**

3 ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डर करने वाले विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन शुल्क तथा वेण्डर/कॉन्ट्रैक्टर द्वारा देय पंजीकरण शुल्क की देयता के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में निम्नवत् व्यवस्था है:-

- प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार रू 5000.00 + अनुमन्य सर्विस टैक्स (वर्तमान में 18% जी.एस.टी. सहित कुल रू 5900/-), कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में नोडल संस्था - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।

- निविदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक टेण्डर हेतु, टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत – न्यूनतम रू 250.00 तथा अधिकतम रू 5000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को आवश्यकतानुसार देय होगा।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत बिडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स द्वारा प्रथम बार रू 6000.00 (सर्विस टैक्स सहित) शुल्क, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देकर, प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के श्रेणीवार अनुमन्यता के आधार पर सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु शुल्क मात्र रू 3000.00 (देय कर अतिरिक्त) प्रति दो वर्ष हेतु मान्य होगा।

4 उत्तर प्रदेश राज्य में वृहद संख्या में ई–टेण्डर आमंत्रित किये जाने की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु एनआईसी द्वारा बैक–एण्ड को अपग्रेड करने तथा टेक्नालॉजी को उन्नत करने एवं साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। एनआईसी द्वारा प्रस्तुत तत्सम्बन्धी रिपोर्ट में इस प्रयोजन हेतु प्रथम तीन वर्षों में रू 850.37 लाख का निवेश आकलित किया गया है तथा प्रथम वर्ष में रु 346.59 लाख की आवश्यकता है, जिसे निगम द्वारा एनआईसी को उपलब्ध कराया जा चुका है। उपरोक्त कार्य पर आने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय ई–टेण्डर प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट बनाई जानी हैं, जिसमें 3 कन्सल्टेण्ट्स/ रिसोर्सेज प्रथमतः 12 माह हेतु रखे जायेंगे।

5 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशा. पत्रांक 3054/78–2–2017–42आई0टी0/2017 (22) दिनांक 01 जनवरी 2018 द्वारा आपके अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/ विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि द्वारा किये गये/ जा रहे ई–टेण्डरिंग कार्यों के लिए नोडल संस्था – यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को उपरोक्तानुसार देय कस्टमाइजेशन शुल्क तथा प्रकाशित की गई निविदाओं के लिए प्रत्येक टेण्डर हेतु, टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत, निविदा शुल्क का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित कराये जाने का पुनः अनुरोध किया गया है। **किन्तु नोडल एजेन्सी – यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को शासकीय विभागों इत्यादि से कस्टमाइजेशन शुल्क तथा निविदा शुल्क की प्राप्ति नियमित नहीं है तथा निगम को अपवादस्वरूप मात्र कुछ विभागों/उपक्रमों द्वारा, जिनकी संख्या नगण्य है, कस्टमाइजेशन शुल्क और निविदा शुल्क का भुगतान किया गया है।**

6 अतएव आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विभागों/ कार्यालयों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि द्वारा किये गये/जा रहे ई–टेण्डरिंग कार्यों के लिए नोडल संस्था – यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को उपरोक्तानुसार देय **कस्टमाइजेशन शुल्क+ 18%जी. एस.टी. तत्काल** तथा **प्रकाशित की जाने वाली/गई निविदाओं के लिए प्रत्येक टेण्डर हेतु, टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत {न्यूनतम रू 250.00 तथा अधिकतम रू 5000.00 (जी. एस.टी. सहित)}**, निविदा शुल्क का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

7 इसके अतिरिक्त **कृपया यह भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि** शासनादेश संख्या 1067/78–2–2017–42आई0टी0/2017 दिनॉक 12 मई 2017 के प्रस्तर 6 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार आपके अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपकमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि द्वारा **प्रकाशित की जाने वाली ई–निविदाओं में इस आशय की शर्त सम्मिलित की जाये कि निविदा में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/ कॉन्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स का उनके डिजिटल सिग्नेचर के साथ उनकी कम्पनी का पंजीयन यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से कराया जाना अनिवार्य है।**

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित्

1 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
3 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, लखनऊ
4 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

आज्ञा से,

(.हरी राम)
उप सचिव